[redacted]

सं. बीसी-16014/1/82-एससी एंडबी सीडी I

भारत सरकार, गृह मंत्रालय

..

नई दिल्ली, दिनांक: 6 अगस्त, 1984

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र
प्रशासनों के मुख्य सचिव ।

विषय- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों और अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रवासियों के दावे के सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र के फार्म में संशोधन ।

...

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के तारीख 18-11-1982 के समसंख्यक पत्र तथा कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग के तारीख 29-10-1977 के पत्र सं. 36012/6/76-एस्टे (एससीटी) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के लागू हो जाने के परिणामस्वरूप तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को रोजगार, शिक्षा आदि के प्रयोजन के लिए अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में चले जाने पर जाति संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने में महसूस हो रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के फार्म में आगे और संशोधन किया गया है। जाति/जनजाति प्रमाण पत्र का संशोधित फार्म पत्र के साथ संलग्न है। अनुरोध है कि इस संशोधित प्रमाण पत्र के फार्म की प्रति उन सभी सक्षम प्राधिकारियों के ध्यान में लाई जाय, जिन्हें ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति प्राप्त है। संलग्न संशोधित फार्म में उन सक्षम प्राधिकारियों की सूची भी दी गई है, जिन्हें अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया था। यह सूची कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के तारीख 8-8-75 के पत्र सं. 13/2/74-एस्टेट (एससीटी) के तहत जारी की गई थी ।

2. इस मंत्रालय के तारीख 18-11-1982 के समसंख्यक पत्र में जारी किये गए अनुदेश चालू रहेंगे । तथापि यह बात स्पष्ट की जाती है कि

..2/-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, उनका अनु. जाति/अनु. जनजाति का अपना दर्जा बना रहेगा, लेकिन वे अनु. जाति/ अनु. जनजाति को देय रियायत/लाभ अपने मूल राज्य से पाने के हकदार होंगे, न कि उस राज्य से जहां वे आकर रहने लगे हैं। सभी सक्षम अधिकारियों को सलाह दी जाय कि वे अबसे आगे अनु.जाति/अनु.जनजाति प्रमाण पत्र संशोधित फार्म में जारी करें और उसके बारे में इस मंत्रालय को भी सूचित करें। साथ ही ये प्रमाण पत्र तब जारी किए जाएं जब वे राजस्व रिकार्ड/विश्वसनीय पूछताछ, जांचपड़ताल के जरिए उचित सत्यापन कर लेने के बाद इस बात से सन्तुष्ट हो जायें कि प्रमाण पत्र सही है। शक्ति प्राप्त सक्षम प्राधिकारियों की फार्म में दी गई सूची का कड़ाई से पालन किया जाय। अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किसी भी अन्य प्राधिकारी को प्राधिकृत न किया जाय।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(बी के सरकार)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं. बी सी-16014/1/82-एस सी एंड बी सी डी-1 दिनांक: 6 अगस्त, 198

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली (15 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, सी जी ओ कम्पलेक्स, ब्लाक नं. 12, लोदी रोड, नई दिल्ली (15 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
4. सचिव, अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
5. अनु. जाति/अनु. जनजाति आयुक्त, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली।
6. सभी अनु.जाति/अनु.जनजाति निदेशक/उप-निदेशक।
7. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक।
8. निर्वाचन आयोग।
9. लोक सभा सचिवालय (एस सी टी सी शाखा) (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

..3/-